

सहायक वीरे.....
 अतः फतवली वाली अंतिम कार्यवाही
 दिनांक 29.5.18 को पेश होंगे

फतवली आल कम्प कोर्ट गरीवाड में पेश हुई। प्रतिवादी
 सं. 1 से 4 व 13 से 20 के विकट एक पक्षीय कार्यवाही
 हो चुकी है। प्रति नं. 5 मन्ना 12 हाग लबाबदावा
 पेश कर विवेदन किया है कि वादी की साथ हमारे हिस्से
 की भूमि का विभाजन कर दिया जावे। फतवली का
 आवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड लमाबन्दी संवत्
 2071-2074 ग्राम वास बिसगा के भूमि ख. नं. 198, 359
 382, 386, 390/2, 392, 393, 394, 395, 396, 397
 किला-11 कुम बकाव 7.64 है। स्थित है तथा भूमि ख. नं.
 361/2 गे. मु. सड़क दर्ज रिकार्ड है। उपलब्ध वर्णित भूमि
 संशुद्ध स्वातेदारी भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन
 नहीं हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 मन्ना 20
 उपलब्ध वर्णित श्राद्ध भूमि के स्वातेदार दर्ज रिकार्ड है।
 धारा 53 के प्रावधान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी गण
 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार
 विधिवत विभाजन करवाने के आवेकारी है।

आदेश

आदेशिक
 वादपत्रस्वीकार किया जा रहा है तथा प्राथमिक डिप्टी
 इस आदेश की ही जाती है कि ग्राम वास बिसगा की
 सरहद में स्थित भूमि ख. नं. 198, 359, 382, 386, 390/2
 392, 393, 394, 395, 396, 397, किला 11 कुम बकाव
 नं. 64 है। का वादीगण एवं प्रतिवादी गण के मध्य
 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार
 रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन
 किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि ख. नं. 361/2
 राजस्व रिकार्ड में गे. मु. सड़क दर्ज होने के कारण
 विभाजन प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जावे। तहसीलदार
 उदयपुरवादी उग्रय पेशों की उपास्थिति में विभाजन प्रस्ताव
 तैयार करें तथा मध्य नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय
 हाथ में प्रस्तुत करें। डिप्टी पंचा जारी हो।

फतवली फंसव शुमार होकर नम्बर से काम हो तथा बाक
 लम्बील दारिखल दफतर हो।

उपखण्ड न्यायाधीश
 न्यायाधीश